


## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

### कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक एफ-1 (2) एफडी (रूल्स) 06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 11 जून, 2014; 07.08.2014, 08.08.2019 एवं शासन के पत्र क्रमांक क्रमशः प. 7(22)शिक्षा-2/2020 जयपुर दिनांक 04.12.2020 तथा प. 7(45)शिक्षा-2/2020 जयपुर दिनांक 07.12.2020 की अनुपालना में निम्नांकित प्राध्यापक अंग्रेजी स्कूल शिक्षा, द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यरत परिवीक्षा काल की अवधि में उनके सामने अंकित अवधि में उपभोग किये गये असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम ब्या. एवं पदस्थापन स्थान(राउमावि) सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती	अवकाश का प्रकार	अवकाश की अवधि	अवकाश दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	श्रीमती इन्द्रगणी ब्या. अंग्रेजी राउमावि रोहड़ावाली, श्रीगंगानगर	असाधारण अवकाश (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)	दिनांक 22.03.16 से 07.04.16 दिनांक 12.04.16 से 09.05.16	17 दिवस 28 दिवस कुल 45 दिवस
2	श्रीमती कृष्णा ब्या. अंग्रेजी राबाउमावि गांधी बस्ती, सुजानगढ़, चूरु	असाधारण अवकाश (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)	दिनांक 26.07.19 से 03.08.19	कुल 09 दिवस

यदि उपरोक्त कार्मिक का इस अवधि का वेतन आहरण हो गया हो तो संबंधित संस्था प्रधान समायोजन करें।

  
(सौरभ स्वामी)

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,


बीकानेर

दिनांक:- 13-01-2021

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-1/परि. अवकाश/लेखा जांच/2020

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)
4. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
5. संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक,
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7(52)शिक्षा-2/2020 जयपुर दिनांक 29.12.2020 द्वारा श्री रामनिवास बिश्नोई, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउगावि वणधर, रानीवाडा, जालोर के परिवीक्षाकाल में 90 दिवस से अधिक लिये गये असाधारण अवकाश की स्वीकृति पश्चात 124 दिवस का असाधारण अवकाश एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	लिये गये अवकाश	दिवसों की संख्या	कुल दिवस
1	20.04.2018 से 08.05.2018	19	कुल 124 दिवस (असाधारण अवकाश)
	01.10.2018 से 16.10.2018	16	
	10.12.2018 से 22.12.2018	13	
	08.01.2019 से 17.01.2019	10	
	05.02.2019 से 09.02.2019	05	
	18.02.2019 से 23.02.2019	06	
	06.03.2019 से 16.03.2019	11	
	22.03.2019 से 30.03.2019	09	
	02.04.2019 से 12.04.2019	11	
	16.04.2019 से 06.05.2019	21	
24.06.2019 से 26.06.2019	03		

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 07.03.2019 द्वारा 90 दिवस का असाधारण अवकाश पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है। 'वित्त (नियम) विभाग' के 'मैमोरेण्डम' क्रमांक-एफ. 1(2)एफ.डी. (रूल्स)/2006 पार्ट-1 दिनांक 11.06.2014 के प्रावधानानुसार कार्मिक द्वारा परिवीक्षा अवधि में लिये गये अवकाशों के आधार पर नियमानुसार कुल (60+124) 184 दिवस की वृद्धि होगी। कार्मिक के असाधारण अवकाश अवधि का लेखा एवं इन्द्राज उसकी सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से किया जावे।


  
(सौरभ स्वामी)  
निदेशक,  
आई.ए.एस.  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक:- 13/01/2021

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रावि/अवकाश/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा.....।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
4. संबंधित संस्था प्रधान.....।
5. संबंधित कार्मिक.....।
6. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर